प्रेषक,

रमाशंकर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 09 फरवरी, 2015

विषयः- **परती (वेस्टलैण्ड)/गोचर भूमि पर चारागाह विकास की योजना (100 प्रति.के.पो.) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-187/प0-2/3-डी-60/चारा/2014-15, दि0-28.08.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-107-चारा तथा चारागाह विकास-02-राष्ट्रीय पशु प्रबन्धन कार्यक्रम-0201-परती (वेस्टलैण्ड)/गोचर भूमि पर चारागाह विकास (100 प्रति.के.पो.)-24-वृहत निर्माण कार्य के अधीन प्राविधानित धनराशि रू0-150.00 लाख के सापेक्ष रू0-4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.94 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाये तथा जिन मदों के लिए धनराशि स्वीकृत है, स्वीकृति की सीमा तक उन्हीं मदों में धनराशि का व्यय किया जाय।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यदि जनपद स्तर पर आहरण वितरण अधिकारी हों, तो ऐसी धनराशियों को संबंधित जनपदों को आवंटित किया जाय तथा विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त आहरण न किया जाय। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि का आहरण कर बैंक/डाकघर में जमा न किया जाय तथा इस धनराशि से व्यय नई मदों में न किया जाय।

5- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात/ कार्यरत वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

6- एतद्रसंबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-107-चारा तथा चारागाह विकास-02-राष्ट्रीय पशु प्रबन्धन कार्यक्रम-0201-परती (वेस्टलैण्ड)/गोचर भूमि पर चारागाह विकास (100 प्रति.के.पो.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 द्वारा प्रशासनिक विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**रमाशंकर**)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-3755(1)/सैंतीस-2-2014-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुधन एवं दुग्ध विभाग, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियो.),पशुपालन विभाग, उ0प्र0,लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
5. संबंधित कोषाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in